न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 994--दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 21--2--14 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 147/निगरानी/2008--09.

1-- अमिताभ सिंह तनय श्री रामकुमार सिंह गहरवार
2-- अशोक सिंह तनय श्री रामकुमार सिंह गहरवार
3-- राजीव सिंह तनय श्री रामकुमार सिंह गहरवार
सभी निवासी ग्राम उमरिया तहसील कुसमी
जिला सीधी म.प्र. ------- आवेदकगण

विरूद्ध

1-- नानदाऊ भुर्तिया तनय रामदुलारे भुर्तिया
2-- रामलाल तनय बैठोले भुर्तिया
3-- सुखलाल तनय शिवमंगल भुर्तिया
4-- रामखेलावन तनय रामफल कोल
सभी निवासी ग्राम उमरिया कोलान टोला
तहसील कुसमी जिला सीधी म.प्र ------ अनावेदकगण

श्री मोरध्वज सिंह, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री विवेक शर्मा, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक [illegible] - 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 147/निग0/2008--09 में पारित आदेश दिनांक 21--2--14 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2-- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकों द्वारा तहसीलदार कुसमी जिला सीधी के प्रकरण कमांक 52/अ--19/1990--91 में पारित आदेश दिनांक 5--12--91 के विरूद्ध अपर कलेक्टर, सीधी के न्यायालय में निगरानी पेश की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 18--10--08 द्वारा उक्त निगरानी खारिज की । इस आदेश

के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एवं अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमि म.प्र. शासन (वन विभाग) के नाम अंकित किए जाने के आदेश दिए हैं। अपर आयुक्त के इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3— प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा मौखिक तर्कों के अतिरिक्त लिखित बहस भी पेश की गई है।

4— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में विवादित भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के अंतर्गत अभ्यारण्य के लिए सुरक्षित रखी गई थी और इसी क्षेत्र में पट्टे के आधार पर नामांतरण की जो मांग की गई है उसके संबंध में राजस्व अधिकारियों को व्यवस्थापन की कोई अधिकारिता नहीं है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक ने 90-91 के प्रकरण क्रमांक 52/अ—19/90—91 का जो सन्दर्भ दिया है वह भी फर्जी है क्योंकि ऐसा कोई प्रकरण अस्तित्व में नहीं है और ना ही ऐसा पट्टा आवेदकों ने पेश किया है। उक्त स्थिति को देखते हुए अपर आयुक्त ने विवादित समस्त भूमियों पर म.प्र. शासन का नाम अंकित करने के साथ पट्टे संबंधी कार्यवाही को निरस्त किया है और यह माना है कि पटटा अस्तित्व में ही नहीं है और इसलिए भूमि म.प्र. शासन (वन विभाग) के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर आयुक्त का आदेश पूर्णतया अभिलेख पर आधारित होकर विधिसम्मत उचित और न्यायिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर